आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 85/14–15

राम पुकार शर्मा वनाम् बम यादव एवं अन्य

आदेश

25.03.15
31.03.15

आवेदक राम पुकार शर्मा,पिता स्व० मंगनु शर्मा,श्रीमती मनकेश्वर देवी पति श्री राम पुकार शर्मा,मनोज कुमार शर्मा पिता श्री राम पुकार शर्मा,मो० कांति देवी पति स्व० राम कमल शर्मा सभी ग्राम–राज खरसा,पोस्ट–कोईल भुपत,थाना–महेन्दिया,जिला –अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकार का प्रख्यापन करने तथा सीमांकन कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–राज खरसा,थाना–मेहन्दिया,जिला–अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
51	357 1043	1.65 डी०	उतर–राम उदय शर्मा,दक्षिण–सहदेव सिंह,पूरब–सहदेव सिंह,पश्चिम–राजा राम सिंह

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया तदानुसार अनुसेवी से नोटिस तामिला कराया गया। नोटिस तामिला संपुष्ट की गई। विपक्षीगण उपस्थित हुए। मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित रहे एवं वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदकगण ने दिनांक 23.03.1982 को पॉच वसीका के माध्यम से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।

(2) सभी वसीका मिलाकर कुल रकवा 1.90 डी० है जिसमें आवेकदगण द्वारा 1.65 डी० पर ही वाद लाया है।

(3) विवादित भूमि का डिमाण्ड आवेकगण के नाम से कायम है और राजस्व रसीद भी कट रही है।

(4) विवादित भूमि 1.40 डी० और 0.53 डी० खतियान में दर्ज है।

(5) विपक्षीगण नाजायज तरीके से वगैरह कोई कागजात के आधार पर दखल कब्जा जाता रहे है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 23.03.1982 के निबंधित केवाला के आधार पर किया है जो उन्हें श्री सत्यदेव सिंह वो श्री सहदेव सिंह पिता श्री शिव गुलाम सिंह से प्राप्त किया है। विवादित भूमि का राजस्व रसीद भी आवेदक के नाम से कट रही है। मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 21.01.2015 को किया गया। स्थल निरीक्षण में उक्त भूमि पर विपक्षीगण का ईट एवं खपडपोस मिट्टी का पुराना मकान बना हुआ है एवं कुछ भूमि में मिट्टी का भराई कर नॉद खूँटा गाड़कर जानवर बाँधा हुआ था और कुछ जमीन परती था।

चुँकि विवादित भूमि पर पूर्व से विपक्षीगणो का मकान निर्मित है, प्राधिकार अंचल अधिकारी, कलेर को आदेश देती है कि वे एक माह के बाद विवादित भूमि का नापी कराकर परती भूमि, जो विपक्षीगणों के मकान एवं सहन के रूप में उपयोग में नहीं है, पर कब्जा दिलाये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कलेर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

31.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।